

(2)

अंचल अधिकारी २०१९/३५८ का कार्यालय

अभिलेख ताद संख्या- २०३ (१७) १८-१९

ताद का प्रकार- बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनीत १९५० की धारा ४(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

२४.१८

आरखण्ड सरकार के ज्ञापांक-२०७४/रा०, दिनांक १३.०५.२०१६ सहपठित-श्री अनुज मुख्यमंत्री, निदेशक, भू-आर्जन-सह-विशेष समिति, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-३-खा०म०नीति-११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक ०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-९१४/रा०, दिनांक-०९.१२.१९९४ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमरक्त आस भूमि की कायम की गयी जामवंदियों की जांच प्रारम्भ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नी०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि-

नौजा- ३१८(ज)२, थाना-१२, खाता संख्या-०५, प्लॉट संख्या-०८, रक्षा- ६६, एकड़ की भूमि जो गैरमरक्त आस, अनावाद बिहार (आरखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमावंदी उस सौजा के पर्जी-१ के जिल्द संख्या-१ के पात्र संख्या-६७, भर जमावंदी रैयत ५-५.७५sm² के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं संचल निरिक्षक द्वारा उपर्योगान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामवंदी को नोटिस प्रतिवेदित किया गया है,

हल्का कर्मचारी एवं अचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन रे प्रतीत छोता है कि उपर्युक्त जमावंदी विना संक्षम प्राधिकार के आवेदन के/ अवैध दंदोवरती के पर/ अवैध कोङ्कर वंदोवरती के अवार पर/ अवैध लगान निधारण के अधार राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त रो स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जागीन वरी १९५०, की धारा ४(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमावंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि वर्यों नहीं उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा १(h) के तहत संक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- १२.५.१८ को उपर्यापित करें।
लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी

१२.५.१८
अंचल अधिकारी

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
१२.४.१८	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की प्रति एंव अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया हैं/नहीं किया हैं, जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अभिलेख दिनांक १६.४.१८ को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	
१६.४.१८	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया हैं, कि उपर्युक्त भू-खण्ड गैर आबाद खाता की है। मौजा ३१६३०१ थाना सं० १२२ खाता सं० ०५, प्लॉट सं० - कुल रकवा - ६६५० जो जमाबंदी संख्या - ६७ में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज वो लगान रसीद समर्पित हैं। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं० - ६७ को रद्द करने हेतू जॉच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशासित जॉच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतू भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	